मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन

भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में टास्क मैनेजर (संविदा) की नियुक्ति संबंधी निर्देश

(समस्त आवेदकों पर यह निर्देश लागू होंगे)

1.1 सामान्य : यह निर्देश मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में टास्क मैनेजर (संविदा) की नियुक्ति के संबंध में है।

1.2 परिभाषाएँ :

''आरक्षण'' से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

''अनुसूचित जन जाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति सुमदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रूप में विनिर्दिष्टि किया गया हैं।

''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक–एफ–8–5 पच्चीस–4–84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग।

किसी रिक्ति के संबंध में **''भर्ती का वर्ष''** से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि जिसके भीतरी ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

''भूवपूर्व सैनिको से अभिप्रेत है'' ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है किसी भी रैंक ''(लडाकू या गैर लड़ाकू) मे कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और–

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी नियुक्त के लंबित रहने तक रिर्जव में अंतरित किया गया है, या–

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का ककदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अनधिक अवधि के लिये करनी पड़ी हो,

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।

1.3 मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में टास्क मैनेजर (संविदा) के पद के संबंध में विवरण :

(1) नियुक्ति का प्रकार : संविदा पर सीधी भर्ती से (अनारक्षित)

(2) संविदा पारिश्रमिक : एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक, रूपये 39,000/मात्र (शब्दों में रू. उनतालीस हजार) एकजाई प्रतिमाह।

(3) **न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता** : सिविल/मैकेनिकल /इलेक्ट्रीकल/कम्प्यूटरसाइंस/आई.टी, इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं ग्रामीण विकास/ग्रामीण प्रबंधन/वित्त/सूचना प्रौद्योगिकी/ऑपरेशन एवं प्रबंधन में, मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षों का, एम.बी.ए/पी. जी.डी.बी.एम.। **न्यूनतम आवश्यक अनुभव :** ग्रामीण विकास के कार्यों के संपादन/मॉनिटरिंग में न्यूनतम 1 वर्ष का व्यवहारिक कार्य करने का अनुभव। **विशेष :** हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के बोलने एवं लिखने में कुशलता तथा कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस में कार्य करने का ज्ञान आवश्यक होगा (इसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक नही है)।

1.4 सामान्य नियम :–

1.4.1 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :–

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी देश की प्रजा होना चाहिये।

टिप्पणी :–

(1) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगेः–

(i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

(iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

(2) किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(i) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है, वे भी इस अनारक्षित/पद हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए।

1.4.2 आवेदकों के लिए आयु सीमा :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी–18–15/91/3/1, दिनांक 03/02/1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2014 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी 3–11/12/1/3 दिनांक **03/11/2012** एवं क्र. सी 3–11/2012/3/एक दिनांक **20/11/2012** के अनुसार अधिकतम आयु सीमा एवं विभिन्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार आयु में छूट प्रदान की गई है :–

स. क्र.	आवेदक	श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु (दिनांक 01/01/2014 को)
01	पुरूष	**सामान्य (अनारक्षित)**	18 वर्ष	40 वर्ष
02	पुरूष	**सामान्य (अनारक्षित)** (शासकीय/निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	18 वर्ष	45 वर्ष
03	पुरूष	**आरक्षित** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	18 वर्ष	45 वर्ष
04	पुरूष	**आरक्षित वर्ग** – (शासकीय/निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	18 वर्ष	45 वर्ष
05	महिला	**सामान्य (अनारक्षित)**	18 वर्ष	45 वर्ष
06	महिला	(शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	18 वर्ष	45 वर्ष
07	महिला	**आरक्षित** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	18 वर्ष	45 वर्ष

1.4.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों में, परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी, विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ियों, निःशक्त–जनों, भुतपूर्व सैनिकों एवं छटनी किये गये कर्मचारियों के संबंध में, आयु सीमा हेतु, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये तत्संबंधी निर्देश प्रभावशील होंगे।

नोट : सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.4.4 अनर्हताएँ :–

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु(पुरूष 21 एवं महिला 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। (मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में दिए कए प्रावधान अनुसार)

(2) कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(3) पररूपधारण।

(4) कदाचरण संबंधी दोषी सिद्ध होने पर।

(5) अन्य अनर्हताएँ सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार।

1.4.5 जाति प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के ओवदक के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.4.6 विकलांगता प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के मूल निवासी विकलांग के पास मेडीकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.4.7 भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण–पत्र :–

मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के आवेदक के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, जिसे नियुक्ति के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

1.4.8 नियुक्ति की जानकारियाँ एवं शर्तें :

(1) टास्क मैनेजर के पद पर पदस्थापना मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल में की जाना है।

(2) संविदा नियुक्ति आदेश में दर्शित दिनांक तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) प्रारंभ में संविदा अवधि एक वर्ष होगी। तत्पश्चात् कार्य मूल्यांकन एवं कार्य आवश्यकता के आधार पर, उपयुक्त होने पर एक–एक वर्ष के लिए पुनः संविदा नियुक्ति बढ़ाई जा सकेगी।

(4) संविदा में कार्यभार ग्रहण करते समय मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।

(5) (i) संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करते समय, संबंधित को रु. 100/– के नॉन–जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना आवश्यक होगा।

(ii) पदभार ग्रहण करने के पूर्व वाँक्षित शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव इत्यादि के मूल प्रमाण पत्र, सत्यापित प्रतिलिपियों सहित सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संविदा नियुक्ति पर कार्य ग्रहण के पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किया जावेगा। यदि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव इत्यादि के प्रमाण पत्र असत्य एवं निर्धारित स्तर से कम पाये जावेंगे तो संविदा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

(iii) कालान्तर में भी संविदा नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि असत्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस हेतु समय–समय पर जारी किये गये निर्देश प्रभावशील होंगे।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में, संविदा नियुक्ति आदेश जारी होने एवं /अथवा कार्यभार गृहण करने के पश्चात् यदि यह पाया जावेगा की उनके द्वारा, उसके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी, दी गई जानकारी असत्य है तो बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी संविदा नियुक्ति समाप्त की जावेगी एवं उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जावेगी। (मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग का ज्ञापन क्र. 3/3/88/8/49/भोपाल दिनांक 27/02/1988)

(8) इस संविदा नियुक्ति के आधार पर, भविष्य में किसी भी पद पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकेगा/जावेगा।

(9) **संविदा पारिश्रमिक एवं भत्ते :**

(i) **एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक, रूपये 39,000/मात्र (शब्दों में रू. उनतालीस हजार) एकजाई प्रतिमाह।**

(ii) संविदा पर संयोजित किये गये व्यक्तियों को संविदा पारिश्रमिक के अतिरिक्त डी.ए., सी.सी.ए., एच.आर.ए. एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। शासकीय यात्रा करने पर, यात्रा भत्ता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए समय–समय पर निर्धारित किए गए अनुसार भुगतान योग्य होगा।

(10) ई. पी.एफ. कटौत्रा : ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

(11) **अवकाश :** संविदा पर नियुक्त टास्क मैनेजर (संविदा) को निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी :

(i) आकस्मिक अवकाश : 01 वर्ष में 13 दिवसों का आकस्मिक अवकाश।

(ii) चिकित्सा अवकाश : 01 वर्ष में 15 दिवसों का चिकित्सा अवकाश। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।

(iii) प्रसूति/पितृत्व अवकाश : महिलाओं को नियमानुसार 90 दिवसों (तीन माह) का प्रसूति अवकाश एवं पुरूषों को 15 दिवसों का पितृत्व अवकाश (मानदेय की राशि सहित)। प्रसूति/पितृत्व अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

नियंत्रण :

(12) कार्यावधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।

(13) संविदा पर नियुक्त टास्क मैनेजर को समय–समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

(14) अपने कार्यों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये संबंधित दायित्वों का भी निर्वाह करना होगा।

(15) सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं दी जावेगी तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(16) कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध रहेगा।

(17) संविदा पर नियुक्त टास्क मैनेजर को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

(18) संविदा पर नियुक्त टास्क मैनेजर द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य, मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रु. 250/– तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय भी समाप्त की जा सकेगी।

(19) चयनित अभ्यर्थी, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति के दिनांक से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(20) संविदा नियुक्ति पर नियुक्त टास्क मैनेजर की सेवाऐं निर्धारित अवधि के पूर्व बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का संविदा वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

(21) संविदा पर संयोजन के उपरान्त, चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों के लिये लागू नियमों एवं अनुदेशों के आधार किया जा सकेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण दर्शाये अविलम्ब निरस्त/समाप्त की जावेगी।

(22) संविदा में संयोजित कर्मचारी के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

(23) संविदा पर नियुक्त टास्क मैनेजर एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

(24) मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

1.4.9 यात्रा किराया :–

आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने पर, टिकट प्रस्तुत किये जाने पर, राज्य शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल